सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

भारत सरकार

NCPCR

रिपोर्ट

बाल साहित्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

दिनांक

11 जनवरी, 2020

स्थान

कॉंस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली

पृष्ठभूमि

इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि 16-20 अगस्त. 2018 को म़ॉरिशस में आयोजित 11वे हिंदी सम्मेलन में बनी जिसका मूल विषय "हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति" था। इस सम्मेलन में पारित अनुशंसाओं के अनुपालन हेतु एक अनुशंसा समिति का गठन किया जिसमें आयोग के माननीय अध्य़क्ष श्री प्रियंक कानूनगो जी को सदस्य बनाया गया। 22 फरवरी, 2019 को इस समिति की बैठक में आयोग को चार निम्नलिखित कार्य सौंपे गए:

1. साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में बाल साहित्य का एक कॉलम अनिवार्यतः रखा जाना चाहिए।

2. प्रति वर्ष, बाल साहित्य पर राष्ट्रीय एवं अंतरार्ष्ट्रीय संगोष्ठी की जाए।

3. बाल साहित्य का वार्षिक आंकलन किया जाए।

4. हिंदी बाल साहित्य का तथ्य़ात्मक इतिहास लिखा जाए।

उपरोक्त चार बिंदुओं के अनुपालन की दिशा तय करने के लिए आयोग के द्वारा इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यकारों तथा संपादकों ने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रेषित किए जिससे कि आयोग को निश्चित ही उपरोक्त अनुशंसाओं के अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो तथा आयोग के सदस्य व राजभाषा कार्यसमिति के अध्यक्ष श्री यशवंत जैन के नेतृत्व में कॉस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आयोग की माननीय सदस्य सुश्री प्रज्ञा परांडे, सदस्य सुश्री रोजी ताबा, श्री हितेश शंकर (पांचजन्य संपादक), श्री दिविक रमेश (बाल साहित्य के विद्वान), श्री भारत अग्रवाल (दैनिक भास्कर संपादक दिल्ली), श्री ज्ञानेंद्र बरतिरया (प्रसार भारती परामर्शदाता) व बाल साहित्य से जुड़े जानेमाने साहित्यकारों तथा संपादकों ने हिस्सा लिया।

आय़ोग के माननीय अध्यक्ष व सदस्यों के मंतव्य

कार्यक्रम में उपस्थित सभी भागीदारों का अभिनंदन करते **हुए आय़ोग के माननीय अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो** जी ने कार्यक्रम की रुपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि साहित्य के माध्यम से बच्चों के लिए विकास का मंच उपलब्ध कराने की दिशा में आयोग का यह पहला और अनूठा प्रयास है और इस दिशा में बाल साहित्य जगत को समर्पित सभी साहत्यकारों व संपादकों का सहयोग और सुझाव आयोग को इस संबंध में भविष्य की राह दिखाएगा।

बाल साहित्य में अपनी संस्कृति के मूल को समाहित करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हिंदी भाषा का विकास करना है तो हमें अंग्रेजी साहित्य के अनुवाद को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। बाल साहित्य को बढ़ावा देने और बच्चों में साहित्य की ललक जगाने के लिए हर विद्यायल में पुस्तकालय की स्थापना पर जोर दिया, जहां बच्चों की रूचि के अनुरूप पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध हो।

साथ ही यह भी बताया की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी बच्चों को पुस्तकालय की सुविधा का लाभ देने की बात कहता है जिसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए औऱ आय़ोग इस दिशा में एक सर्वे के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। सर्वे के परिणामों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में विद्यालयों में पुस्तकालयों का महत्व कम होता जा रहा है और जो पुस्तकालय हैं भी उनमें बस कोर्स की किताबों के अतिरिक्त कुछ उपलब्ध नहीं होता। विडंबना है कि पुस्तकालयों के लिए अलग से फंड होने के बावजूद भी पुस्तकालय नहीं बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी भागीदारों से अपने नजदीक के विद्यालयों में जाकर पुस्तकालयों के निरीक्षण की अपील की औऱ उनमें सुधार के लिए प्रयास करने को कहा।

उन्होंने बताया कि 60 प्रतिशत बच्चें सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं अतः आवश्यक है कि इन विद्यालयों के माध्यम से समाज के सभी बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही फरवरी 2019 को विदेश मंत्रालय की अगुवाई में हिंदी बाल साहित्य औऱ भारतीय संस्कृति विषय पर हुई बैठक में आयोग को चार अनुशंसाओं का अनुपालन करने को कहा गया था जिसे चरणबद्ध तरीके पूर्ण करने पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।

आय़ोग के माननीय सदस्य व राजभाषा कार्यसमिति के अध्यक्ष श्री यशवंत जैन ने स्वागत अभिभाषण के साथ हिंदी से जुड़े सभी भागीदारों का स्वागत करते हुए संगोष्ठी का शुभारंभ किया। उन्होंने आयोग के विधिक दायित्वों का संक्षिप्त विवरण देते हुए सभी भागीदारों से सहयोग और सुझाव की अपील की। हिंदी की यात्रा ताड़पत्रों से शुरू होकर आज इंटरनेट की दुनिया तक पंहुची है और इस दौरान साहित्य जगत में कई अमूलचूल बदलाव भी आए हैं। इन्हीं बदलावों के अंतर्गत बच्चों को और उनकी जरूरतों को समझने की आवश्यकता है। बच्चों की सोच बदली है, आज मैदानों में खेलने वाला बच्चा मोबाईल व इंटरनेट पर सिमट रहा है।

हिंदी के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि यह बालकों के लिए अति आवश्यक है कि उनके अनुरूप पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध हो तथा व केवल कक्षाओं तक सीमित न रहें बल्कि उसकी बौद्धिक क्षमताओं का भी विकास करने में सहायक हो। साहित्य ऐसा हो कि बच्चों को समझ में भी आए और उसके प्रचलन व प्रसार को बल भी मिल सके।

हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आय़ोग के द्वारा पिछले चार वर्षों में किए गए प्रयासों से भी भागीदारों को अवगत कराया और इस गोष्ठी के माध्यम से आय़ोग द्वारा उठाए गए प्रथम प्रयास पर सभी को आश्वासन दियाला कि आय़ोग इस दिशा में प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से कार्य करेगा और बाल विकास की दिशा में अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा।

आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती प्रज्ञा परांडे ने संगोष्ठी में उपस्थित सभी साहित्यकारों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मेरी मात्र भाषा तेलगु है और उसी साहित्य को पढ़कर बड़ी हुई हैं। मैने जितनी भी हिंदी सीखी उसमें मेरे बच्चों का बहुत सहयोग रहा है, इसलिए बच्चों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दिव्यांगो के लिए और ब्रेल लिपी में अगर आपके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वह सराहनीय होगा। बाकी भारतीय भाषाओं में जो साहित्य है उसको हिंदी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आयोग के द्वारा यह पहल की गई है, जिसमें आप सभी का सहयोग और सुझाव बहुत जरूरी है जिससे कि आयोग इस दिशा में आगे बढ़ सके।

आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती रोजी ताबा ने संगोष्ठी में उपस्थित सभी भागीदारों और अतिथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारे सामने जब यह विषय आया तो आयोग में इसपर श्री यशवंत जैन जी व अन्य अधिकारियों के साथ गहन चर्चा हुई, जिसके परिणास्वरूप हम आज सभी य़हां एकत्रित हुए हैं। यह सामान्यतौर पर देखा जाता है कि हम हिंदी बोलना तो पसंद करते हैं लेकिन लिखना पसंद नहीं करते इसलिए इसे सरल और आकर्षक बनाया जाना चाहिए।

साहित्य लिखते समय इस बात का घ्यान रखना चाहिए कि बच्चे को क्या चाहिए और जो हम उसे दे रहें वह उसकी समझ में आ भी रहा है या नहीं। साहित्य की रचना बच्चों को केंद्र में रखकर ही करना चाहिए। बाल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका अहम है। इसलिए इन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बच्चों को बचपन से साहित्य से जोड़ा जाना चाहिए। मैने जो भी हिंदी सीखी वह स्कूल में ही सीखी। हमें बच्चों की नस को पकड़कर साहित्य की रचना करनी होगी। आज बच्चे क्यों नहीं हिंदी पढ़ रहे इस पर भी गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस विषय पर ध्यान देना चाहिए की हर क्षेत्र में बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित हो। आप सभी के द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं आयोग उनपर गंभीरता से कार्य करेगा।

अतिथियों व प्रतिभागियों के सुझाव/विचार

श्री हितेश शंकर (संपादक पांचजन्य)

- बाल साहित्यकारों को चिन्हित कर एक मंच पर लाना अपने आप में एक बड़ा कार्य है। बच्चों को केंद्र में रखकर उन्होंने कहा कि इंसान के विकास का बीज बच्चा है जिसे हम भूल जाते हैं। जबतक इस बीज को सही से नहीं पोषा जाएगा तब तक एक मजबूत वृक्ष नहीं खड़ा किया जा सकता। इस दिशा में हमारी यह साझा जिम्मेदारी है कि बाल साहित्य का सृजन गंभीरता से किया जाना चाहिए।
- बच्चों को सरल और स्पष्ट साहित्य दिया जाना चाहिए जो जाति पाति तथा अन्य कुरीतियों से मुक्त हो। बच्चों को संस्कृति और शब्दों को सही ज्ञान होना आवश्यक है और इस पर विद्यालयों में ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके।
- उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग को एक चयन मंडल बनाकर साहित्य प्रकाशित करना चाहिए जो बाल विकास व अधिकारों को प्रति लोगों की आंखे खोलने वाला हो।

श्री दिविक रमेश (कवि एवं बाल साहित्यकार)

- बाल साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में बाल साहित्य का कॉलम अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- बाल साहित्य पर निश्चित अंतराल पर इस तरह की संगोष्ठियों का आय़ोजन देश भर में होना चाहिए।
- महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के संपादकों से संपर्क किया जाना चाहिए ताकि बाल साहित्य को उनमें प्रमुखता से जगह दी जा सके। पत्र पत्रिकाओं के संपादकों के साथ भी बैठक की जा सकती है इस संदर्भ में।

डॉ. भारत अग्रवाल (संपादक दैनिक भास्कर, दिल्ली)

- वर्तमान में बाल साहित्य के प्रकाशन और संकलन में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया और बाल साहित्य को बढावा देने के लिए सरकार से अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बाल साहित्य के डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया।
- बाल साहित्य के लिए कुछ नया करने की दिशा में सुक्षाव देते हुए उन्होंने कहा कि हमें बाल साहित्य का ऐसा मंच बनाना चाहिए जिसका लाभ बच्चे और बड़े दोनों उठा सके और अपने विचार साझा कर सके।

श्री ज्ञानेंद्र बरतरिया (सलाहकार प्रसार भारती)

- डिजिटल माध्यम से बाल साहित्य की बच्चों तक पहुंच को बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे साहित्य की ओर आकर्षित हो और साहित्य उनके जीवन को सही दिशा दे। इस दौरान बाल साहित्य के कंटेट पर और उसकी प्रस्तुति

पर बारीकी से और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अगर इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए तो यह माध्यम बाल साहित्य को एक नई दिशा दे सकता है।

श्री संजीव जायसवाल, पूर्व निदेशक, आर.डी.एस.ओ. रेल मंत्रालय

- विद्यालयों में पुस्तकालय न होना और जहां पुस्तकालय उपलब्ध हैं वहां बाल साहित्य उपलब्ध न होना बाल साहित्य के विकास में अवरोध का एक बड़ा कारण रहा है।
- CSR के जरिए सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालयों और बाल साहित्य के विकास को बढावा देना चाहिए और कम से कम 10 फीसद फंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- RERA कानून में बदलाव कर सोसाइटियों में पुस्तकालय का प्रावधान अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- RNI के माध्यम से सभी पत्र पत्रिकाओं को बाल साहित्य के कॉलम को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

श्री सुरेंद्र विक्रम, एसो. प्रोफेसर/अध्यक्ष, हिंदी

- सरकार से जिन-जिन पत्रिकाओं को अनुदान दिया जाता है उनके लिए बाल साहित्य का पृष्ठ अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- भविष्य में होने वाली संगोष्ठियों के लिए आयोग को एक समिति का गठन करना चाहिए।
- बाल साहित्य का वार्षिक आंकलन किया जाए जो कि लगभग एक दशक से बंद है।
- बाल साहित्य का इतिहास लिखने की दिशा में एक एक्सपर्ट पैनल गठित किया जाए जिसकी निगरानी में इतिहास लिखने का कार्य किया जाए।

श्री विकास दवे, संपादक, देवपुत्र

- आयोग के द्वारा बाल साहित्य पर विशेषांक निकाला जाना चाहिए तथा बाल साहित्य के समीक्षा आलेखों का संकलन किया जाना चाहिए।
- आयोग को बाल साहित्य का इतिहास लिखने के लिए आगे आना चाहिए और प्लेटफोर्म उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सुश्री तपन मुखर्जी

- यौन शोषण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए अभी तक जो भी साहित्य प्रकाशित हुए हैं वह दोयम दर्जे के हैं और उनका बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में जो भी साहित्य सृजित किया जाए उसपर बारीके से ध्यान दिया जाना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए।
- बाल साहित्य की गुणवत्ता और उसके मूल्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि वह बच्चों की पहुंच में हो और उसका बेहतर प्रभाव हो। साथ ही बाल साहित्य को आकर्षक बनाया जाना चाहिए।

श्री गोविंद भारद्वाज, पुलिस लाइन, अजमेर

- राजस्थान सरकार की तरह सभी राज्यों में बाल अकादमी बनाने के लिए आयोग को सरकारों से संपर्क करना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए की हर अकादमी अपना साहित्य प्रकाशित करे।

श्री नरेंद्र सिंह नरिहार, प्रवक्ता (हिंदी)

- बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर साहित्य लिखा जाना चाहिए, जिससे कि उनकी साहित्य के प्रति रूचि को सुदृढ़ हो।
- सभी को बाल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर आसपास के बच्चों और अभिभावकों से संपर्क किया जाना चाहिए ताकि साहित्य के प्रति जागरूक किया जा सके।

सुश्री वंदना यादव

- बाल साहित्य में सरल शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और साहित्य लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चे उसे आसानी से समझ सके।
- गुड टच बैड टच को कहानियों के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सुश्री रेनू सैनी, लेखिका, रक्षा मंत्रालय

- साहित्य इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे लिंग भेद व समाज की अन्य कुरीतियों के साथ बड़े न हो और सकारात्मक ज्ञान से अपनी सोच को विकसित कर सके।

सुश्री रंजना यादव, उद्घोषिका, आकाशवाणी, लखनऊ

- बच्चों का अपना संसार होता है और उनका साहित्य भी उन्ही के संसार के अनुरूप होना चाहिए। बच्चों में साहित्य के प्रति रूचि को बढ़ावा देने के लिए लोक कथाओं का इस्तेमाल किया जा जाना चाहिए।
- पत्र पत्रिकाओं में बाल साहित्य का कॉलम अनिवार्य किया जाना चाहिए और बच्चों से संबंधित छोट-छोटे कोट्स निरंतर छपने चाहिए।

सुश्री क्षमा शर्मा, लेखिका/पत्रकार

- पुस्तकालय में बच्चों के लिए अच्छा साहित्य उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में आयोग हस्तक्षेप करे।
- आयोग के माध्यम से बाल साहित्य पर एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाना चाहिए जिसमें समकालीन भारतीय भाषाओं के साहित्य को भी जगह दी जानी चाहिए।

श्री अतुल त्रिवेदी, दैनिक भास्कर

- बाल साहित्य के माध्यम से गुड़ टच बेड टच पर आयोग को सेमिनार आयोजित किया जाना चाहिए।
- साहित्य के माध्यम से बच्चों के सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

सुश्री राखी सैनी, सहायक निदेशक, क.रा.बी.निगम/श्रम मंत्रालय

- बच्चों के द्वारा रचित साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए। साहित्य का प्रारूप ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के मन से डर निकल सके और वह अपने साथ हो रहे शोषण की जानकारी दे सके।

श्री दीन दयाल शर्मा, टाबर टोली (पाक्षिक पत्रिका), हनुमानगढ़

- अच्छे बाल साहित्य के निर्माण के लिए बच्चों से अनिवार्य रूप से संपर्क किया जाना चाहिए।

सुश्री कविता गुप्ता, स्नेह बाल पत्रिका, भोपाल

- बाल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा प्ले स्कूलों में भी बाल साहित्य के प्रति बच्चों तक संदेश प्रवाहित किया जाना चाहिए।
- पुस्तकालय कैफे निर्मित करने की संकल्पना पर कार्य करना चाहिए।

सुश्री कीर्ति श्रीवास्तव, भोपाल

- बाल साहित्य से संबंधति पत्र पत्रिकाओं को सरकार द्वारा विद्यालयों तक पहुंचाया जाना चाहिए।
- बाल साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए आयोग को विद्यालयों में प्रतियोगिताओं के आयोजन की दिशा में कार्य करना चाहिए।

श्री सतीष मिश्र, बाल साहित्य प्रसार संस्थान

- आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों तक बाल साहित्य को पहुंचाया जान चाहिए।

श्री किशोर श्रीवास्तव, पूर्व संपादक

- सरकार के द्वारा निकाली जाने वाली बहुत सारी पत्रिकाएं बंद हो चुकी है जिन्हें फिर से बहाल करने के लिए आयोग को प्रयास करने चाहिए।

डॉ रमेश यादव, लेखक

- आयोग द्वारा सरकार के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं के संपादकों को बाल साहित्य का कॉलम अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

सुश्री उषा यादव, लेखिका

- बाल साहित्य से संबंधित पुस्तकों को सरल हिंदी में बच्चों तक पंहुचाए जाने के लिए आय़ोग को कार्य करना चाहिए।

श्री ओमप्रकाश क्षत्रिय, सहायक शिक्षक, कहानीकार

- बाल साहित्य के विषय पर शासन के द्वारा पत्रिकाएं प्रकाशित की जानी चाहिए।
- बाल साहित्य को विद्यालयों तक पहुंचाने के लिए आयोग को आगे आना चाहिए।

डॉ श्रेष्ठपाल सिंह "शेष"

- समाचार पत्र और पत्रिकाओं में बाल साहित्य का कॉलम निरंतर प्रकाशित होना चाहिए।
- बाल साहित्य पर इस तरह की संगोष्ठी का आय़ोजन समय-समय पर किया जाता रहना चाहिए।
- बाल साहित्य के वार्षित आंकलन के लिए आयोग को व्यवस्था बनानी चाहिए।

सुहानी यादव (बाल कवि)

- बाल साहित्य पर केंद्रित कार्यक्रमों में बच्चों को अवश्यभावी रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- बाल साहित्य को आकर्षक बनाया जाना चाहिए।

श्री हरीश बिष्ट

- ग्रामीण स्तर तक बाल साहित्य की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आयोग को प्रयास करना चाहिए।
- बाल साहित्य के विकास पर केंद्रित संगोष्ठियों का आय़ोजन निरंतर किया जाना चाहिए।

सुश्री अंजली यादव

- बच्चों को हिंदी साहित्य की अहमियत समझाने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए।

डॉ भैरोलाल गर्ग, संपादक- बालबाटिका मासिक पत्रिका

- आयोग द्वारा RNI को पत्र लिखकर पत्र पत्रिकाओं में बाल साहित्य का कॉलम अनिवार्य करने का प्रयास करना चाहिए।

श्री संजय जैन, संपादक- बच्चों का देश

- बाल साहित्य को बढ़ावा देने में कार्य कर रहे साहित्यकारों व संपादकों को आयोग द्वारा एक मंच उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- राज्य स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए।

सुश्री नीति श्रीवास्तव

- आयोग के द्वारा साहित्य से बच्चों को जोड़ने के विषय पर कार्य किया जाना चाहिए।

- राज्य स्तर पर बाल साहित्य मेलों का आय़ोजन किया जाना चाहिए।

श्री देशबंधु शाहजहाँपुरी, बाल साहित्य लेखक

- पत्र पत्रिकाओं बाल साहित्य का कॉलम प्रमुख पृष्ठ पर होना चाहिए और बाल साहित्य के कॉलम आकर्षक होने चाहिए।

श्री दिनेश पाठक, शशि, बाल साहित्यकार

- आयोग के द्वारा बच्चों और अभिभावकों को बाल साहित्य के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- बाल साहित्यकारों को बच्चों के मत के आधार पर ही पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

सुश्री सुधा गुप्ता

- बाल साहित्य को पत्र पत्रकाओं में प्रमुखता देनी चाहिए और बाल साहित्य का आकलन मात्र पुरस्कारों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।
- इतिहास लिखते समय अति सावधानी बरती जाए और साहित्य का इतिहास तथ्यपरक लिखा जाए आयोग यह सुनिश्चित करे। बाल साहित्य में आलोचना को बढ़ावा देना चाहिए।

डॉ अमित प्रताप सिंह 'नाहर'

- एक समिति हर राज्य में बनाए जो स्कूलों में जाए और बाल साहित्य के प्रति बच्चों को जागरूक करें।
- सभी सरकारी सस्थानों को पत्र भेजा जाए कि वह अपनी पत्रिका में बाल साहित्य को जगह दें।

डॉ कृति प्रवीण खरे

- बाल साहित्य से संबंधित पत्रिकाओं को रोजगार उन्मुख बनाया जाना चाहिए।
- बाल साहित्य में नवाचार को बढावा देना चाहिए और बाल साहित्य को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए।
- आयोग के द्वारा रंग मंडल की स्थापना के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री सुमित ओरछा, राष्ट्रीय कवि संगम

- बाल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए।
- बाल साहित्यकारों और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आय़ोग को व्यवस्था करनी चाहिए।
- आयोग के द्वारा बाल साहित्य को प्रधानमंत्री जी के मन की बात में शामिल करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री अरविंद शर्मा, बाल साहित्यकार/संपादक सार समीक्षा

- बच्चों को संपादकीय कार्यों से जोड़ा जाना चाहिए जिससे उनके बीच साहित्य को लेकर रूचि बढ़े।
- बाल साहित्यकारों की समिति गठित की जानी चाहिए जो बाल साहित्य की मॉनिटरिंग करे।

डॉ मोहम्मद साजिद खान

- स्कूलो में बाल सभा अनिवार्य की जानी चाहिए और उसमें बाल साहित्य के प्रति बच्चों में रूचि विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- प्रतियोगिता परीक्षा में बाल साहित्य से संबंधित प्रशनों को शामिल किया जाना चाहिए।
- बच्चों से बाल साहित्य की आलोचना कराई जानी चाहिए और बाल साहित्य की निरंतर समीक्षा होनी चाहिए।

सुश्री शंकुतला कालरा, प्रोफेसर, दि.वि.वि.

- हर पुस्तक पर बाल साहित्य का परिचय होना चाहिए। बाल साहित्य का इतिहास एक्पर्ट साहित्यकारों से कराया जाना चाहिए विषयवस्तु के अनुसार।

सार : कार्यशाला में रखे गए महत्वपूर्ण विचार

- आयोग को एक चयनमंडल बनाकर बाल साहित्य प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- बाल साहित्य पर निरंतरत अंतराल पर संगोष्ठियों का आय़ोजन किया जाना चाहिए।
- बाल साहित्य के लिए आयोग के द्वारा मंच उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- बाल साहित्य के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए।
- पत्र पत्रिकाओं में बाल साहित्य का कॉलम अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- सभी राज्यों में बाल साहित्य अकादमी के गठन की दिशा में प्रयास करना चाहिए।
- बाल साहित्य का वार्षिक आंकलन किया जाना चाहिए।
- बाल साहित्य का इतिहास लिखने के लए विशेषज्ञ पैनल गठित किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय स्तर पर बाल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए।

----------समाप्त----------